



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
 (Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
 (एमपीईडीए नियम, 1972 का नियम 42)
 (Rule 42 of MPEDA Rules, 1972)

प्रपत्र X
FORM X

एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN EXPORTER

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख : **GU1/MT/282/15** 18/05/2015
 Number and Date of Certificate of Registration
2. वैधता / Valid upto : **17/05/2027**
3. कंपनी का नाम और पता : **M/s.Sagar Marine Impex**
 Name and Address of the Company
 Behind Trivedi Weigh Bridge , Near Keval
 Exports,Patan Road
 Veraval 362269
 District: JUNAGADH
 State: GUJARAT
4. निर्यातक की श्रेणी /Category of Exporter : **MANUFACTURER EXPORTER**
5. निर्यात के लिए अनुमत उत्पाद का प्रकार / Type of Product : **Frozen**
 permitted for Export

(डिजिटल हस्ताक्षर /Digital Signature)
SHESHENDRA M.SHIRODKAR
 Assistant Director (ROS)

स्थान / Place: Regional Division Veraval
 दिनांक / Date: 04/04/2025

Last Modified Date : 22/05/2024



(प्राधिकरण की मुहर)

यह प्रमाणपत्र एमपीईडीए अधिनियम और नियम 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम 1963 और उसके बाद के नियमों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के प्रावधानों के अधीन जारी किया जाता है।

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the MPEDA Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions prescribed by the Authority from time to time.

मुख्यालय,एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली नगर, कोच्ची-682 036 / Head Office: MPEDA House, Panampilly Nagar, Kochi 682 036

ईमेल/Email: ho@mpeda.gov.in फ़ोन/Phone: 91-484-2311901/2311803

एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें**CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN EXPORTER**

1. पंजीकरण का यह प्रमाणपत्र समय-समय पर संशोधित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है।

This certificate of registration is granted subject to the provisions of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, as amended from time to time.

2. निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए धारक समय-समय पर संशोधित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पंजीकरण दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

The holder will abide by the Manual of Registration Guidelines of Marine Products Export Development Authority for issue of Certificate of Registration as an Exporter, as amended from time to time.

3. इस प्रमाणपत्र की क्रम सं 5 के अनुसार निर्यात करने के लिए केवल अनुमति प्राप्त मदों का ही निर्यात किया जाएगा।

Only the item(s) permitted to be exported vide Sl. No. 5 of this certificate shall be exported.

4. निर्यातक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा निर्यात किए जानेवाले समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 के 21) की धारा 6 और उसके तहत आनेवाले नियमों, विनियमों और अनुदेशों के तहत, समय-समय पर संशोधित केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार है।

The exporter shall ensure that the quality of the marine products exported by him conform to the specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (21 of 1963) and Rules, regulations and instructions there-under, as amended from time to time.

5. निर्यातक भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात निरीक्षण एजेंसी और इस प्राधिकरण द्वारा प्रसंस्करण, पैकिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, शिपमेंट पूर्व निरीक्षण और अन्य सभी मामलों के संबंध में समय-समय पर जारी किए जानेवाले नियमों, विनियमों और निर्देशों का अनुपालन करेगा।

The exporter shall conform to the rules, regulations and instructions issued by the Export Inspection Council of India, Export Inspection Agency and this Authority from time to time in respect of processing, packing, quality control, pre-shipment inspection and all other matters.

6. समुद्री उत्पादों का परिरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण से संबंधित स्वास्थ्य और सफाई संबंधी अन्य आवश्यकताओं को भी भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार होना चाहिए।

The sanitary and other hygienic requirements relating to preservation, processing and storage of marine products should also conform to the regulations issued by the Export Inspection Council of India, Export Inspection Agency and the Authority from time to time.

7. निर्यातक निर्यात के लिए उपर्युक्त ढंग से अनुमत मदों का प्रसंस्करण, हैंडलिंग, पैकिंग या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत और निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा अनुमोदित परिसर में ही करेगा।

The exporter shall process, handle, preserve, pack or store the items allowed for export as above only in premises registered with Marine Products Export Development Authority and approved by the Export Inspection Agency.

8. धारक द्वारा या किसी प्रसंस्करण संयंत्र की अधिशेष क्षमता का उपयोग करने वाले या धारक के स्वामित्व/संचालन सुविधा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या गुणवत्ता के मुद्दों या व्यापार संबंधित मुद्दों के लिए किसी भी भूल-चूक के लिए प्रमाणपत्र को रद्द किया जा सकता है। धोखाधड़ी सहित, शिकायत प्रसंस्करण इकाई या हैंडलिंग सुविधा पर शिकायत का आरोप हो या न हो।

The certificate is liable to be cancelled for any act of omission or commission by the holder or by any person utilizing the surplus capacity of a processing plant or handling facility owned / operated by the holder, either in respect or quality issues or for trade related issues, including cheating, whether or not the complaint can be attributed to the processing unit or handling facility.

9. मालिक को पंजीकरण के इस प्रमाणपत्र को हर तीन साल में एक बार पुनर्वैधीकरण करवाना होगा।

The owner should get this certificate of registration revalidated every three years.

10. यदि धारक एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समय-समय पर संशोधित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पंजीकरण दिशानिर्देशों के नियमावली के प्रावधानों के तहत इस तरह के पंजीकरण के लिए हकदार नहीं रह जाता है, तो पंजीकरण वैध नहीं रहेगा।

The registration shall cease to be valid if the holder becomes no longer entitled to such registration under the provisions of the Manual of Registration Guidelines of Marine Products Export Development Authority for issuing Certificate of Registration as an Exporter, as amended from time to time.

11. धारक प्रत्येक बीजक और शिपिंग बिल में प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का नाम और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें जहां निर्यात किए जानेवाले समुद्री उत्पादों को प्रसंस्कृत/हैंडल किया गया है।

The holder shall indicate in every invoice and shipping bill the name and the Marine Products Export Development Authority registration number of the processing plant or handling facility where the marine products being exported has been processed / handled.

12. निर्यातक भारत सरकार, प्राधिकरण, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगा।

The exporter shall comply with such other instruction as may, from time to time issued by the Government of India, the Authority, the Export Inspection Council of India and the Export Inspection Agency.

13. इस प्रमाणपत्र की प्रति प्रमुखता से आपके कार्यालय और संबंधित प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित की जाएगी।

Copy of this certificate shall be prominently displayed in your office and related establishments.

14. कंपनी के गठन में किसी भी परिवर्तन को इस तरह के परिवर्तन से 30 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित किया जाएगा।

Any change in constitution of the company shall be endorsed in the certificate within 30 days from such change.

15. निर्यातक अगले महीने की 15 तारीख से पहले मासिक आधार पर विवरण के साथ निर्यात दस्तावेज (शिपिंग बिल और बीजक) प्रस्तुत करेगा।

The Exporter shall submit the export documents (shipping bills and invoices) along with statement on a monthly basis before 15th of succeeding month.